34/20

पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उप। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगायी गयी फिर भी अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित नहीं । लिहाजा हस्तगत अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। ल.ए.मी पक्ष.मद निर्णय प्रति लौटायी जाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर